फर्द अहकाम
कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट राजसमन्द, जिला राजसमन्द

मुथूट होमफिन (इण्डिया) लिमिटेड एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय–मुथूट चैम्बर, कुरिअन टावर, बानेरली रोड़, एर्नाकुलम उत्तर, कोच्चि–682018 तथा शाखा कार्यालय–द्वितीय तल, प्रेस्टिज टावर, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी श्री शशांक शर्मा

–प्रार्थी कंपनी

बनाम

1. लक्ष्मण लाल सुथार पुत्र श्री मांगीलाल सुथार, निवासी– 208, रावला क्षेत्र, ठाकुर जी के मन्दिर के पास, ईशरमण्ड देवगढ़, जिला राजसमन्द, (राजस्थान) – 313331

एवं

पता – मामदेव फर्नीचर, भीलवाड़ा, राजस्थान – 313331

एवं

निवासी – पटटा नम्बर 041, ग्राम ईशरमण्ड़, पंचायत समिति देवगढ़, जिला राजसमन्द, (राजस्थान) – 313331 **– ऋणी**

2. श्रीमती गंगा बाई पत्नी श्री लक्ष्मण लाल, निवासी–208, रावला क्षेत्र, ठाकुर जी के मन्दिर के पास, ईशरमण्ड देवगढ़, जिला राजसमन्द, (राजस्थान) – 313331

एवं

निवासी – पट्टा नम्बर 041, ग्राम ईशरमण्ड, पंचायत समिति देवगढ़, जिला राजसमन्द, (राजस्थान) – 313331 **– सहऋणी**

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र सरफेसी एक्ट **पत्रावली संख्या 83/2022**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 02.01.2023 प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी मुथुट हॉम फिन (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर ने दिनांकः 12.10.2022 को इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत प्रस्तुत किया हैं जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी कम्पनी से जरिये ऋण करार संख्या 024–02400864 के द्वारा 10,44,904/– अक्षरे दस लाख चौवालिस हजार नौ सौ चार रूपये का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने उक्त ऋण मय ब्याज के	

न्यायालय जिला कलक्टर

पुर्न भुगतान की सिक्योरिटी के पेटे अपनी अचल सम्पत्ति – आवासीय प्लाट/पट्टा नम्बर 041, ग्राम ईशरमण्ड, पंचायत समिति देवगढ़, जिला राजसमन्द, (राजस्थान) को प्रार्थी कम्पनी के पास रहन किया। अप्रार्थीगण ने नियमित रूप से प्रार्थी कम्पनी के उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सके और दिनांक 31.01.2021 को ऋण के भुगतान में व्यतिक्रम डिफाल्ट होने पर अप्रार्थीगण के उक्त ऋण खाते को एन.पी.ए. घोषित कर दिया है। प्रार्थी कम्पनी ने अप्रार्थीगण के ऋण खाता संख्या 024–02400864 में बकाया रूपये 11,71,676/–रूपये (अक्षरे ग्यारह लाख इकत्तर हजार छः सौ छिहत्तर रूपये मात्र) बकाया रकम व ब्याज दिनांक 31.03.2021 तक शेष व देय निकलते है की मांग हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 15.03.2021 को रजिस्टर्ड नोटिस अप्रार्थीगण को उनके ज्ञात पतों पर प्रेषित किये जो अप्रार्थीगण को दिनांक 31.03.2021 एवं 01.04.2021 को प्राप्त हो जाने के बावजूद भी अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी कम्पनी की बकाया ऋण राशि का भुगतान नही किया गया है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में उक्त ऋण अवधि की पुर्न भुगतान के लिए जो सम्पति रहन रखी गई वह श्री लक्ष्मण लाल पुत्र श्री मांगीलाल सुथार निवासी ईशरमंड तहसील देवगढ के स्वामित्व की है। **बंधक सम्पति का विवरण :–** एक आवासीय प्लाट/पट्टा नम्बर 041, ग्राम ईशरमण्ड, पंचायत समिति देवगढ़, जिला राजसमन्द, (राजस्थान) में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1304 वर्गफीट होकर पड़ौस यथा :– पूर्व में :– श्री चैनसिंह का मकान पश्चिम में :– आम रास्ता उत्तर में :– आम रास्ता दक्षिण में :– श्री भैरूलाल सुथार का मकान। प्रार्थी कम्पनी उक्त एक्ट के प्रावधानों के अनुसार उक्त वर्णित सिक्युरिटी रहनशुदा सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर उक्त शेष देय राशि वसूल करने की अधिकारी है।

प्रकरण में प्रार्थी बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा ऋणी तथा सहऋणी को धारा 13(2) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के नोटिस दिनांकः 15.03.2021 को जारी किये गये थे। भारतीय डाक विभाग के ट्रेक कन्साइनमेंट दिनांक 31.03.2021 एवं 01.04.2021 अनुसार नोटिस अप्रार्थीगण को प्राप्त हो चुके है। आवेदक बैंक/वित्तिय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभिलेख व आवेदक के शपथ–पत्र पर विचार करने के उपरान्त हम धारा 14 अन्तर्गत वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में प्रदत्त की गयी शक्तियों के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना उचित समझते हैं।

प्रार्थी मुथुट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर द्वारा प्रस्तुत दावे अनुसार **बंधक सम्पति का विवरण :–** श्री लक्ष्मण लाल पुत्र श्री मांगीलाल सुथार निवासी ईशरमंड तहसील देवगढ की अचल संपति, एक आवासीय प्लाट/पट्टा नम्बर 041, ग्राम ईशरमण्ड, पंचायत समिति देवगढ़, जिला

न्यायालय जिला कलक्टर

राजसमन्द, (राजस्थान) में स्थित है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1304 वर्गफीट है। जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा आदि जो सभी संपति के अभिन्न अंग है। जिसकी चतुर्सीमा पडौस निम्न प्रकार है कि, पूर्व में :– श्री चैनसिंह का मकान पश्चिम में :– आम रास्ता, उत्तर में :– आम रास्ता, दक्षिण में :– श्री भैरूलाल सुथार का मकान है।

उपरोक्त प्रकरणाधीन सम्पत्ति किसी अन्य दीगर को अन्तरण नहीं की हो, किसी माननीय न्यायालय का कोई आदेश/स्थगन प्रभावी नहीं होने पर उक्त सम्पत्ति का भौतिक रुप से कब्जा प्रार्थी मुथुट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर के अधिकृत प्रतिनिधि को जरिये पुलिस मदद दिलवाये जाने के आदेश दिए जाते हैं। इस आदेश की पालना हेतु प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, राजसमंद को प्रेषित की जाकर प्रार्थी मुथुट होमफिन (इंडिया) लिमिटेड, जयपुर को नियमानुसार राजकोष में पुलिस जाब्ता राशि जमा होने पर पर्याप्त पुलिस जाब्ता उपलब्ध कराया जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

(नीलाभ सक्सेना)
जिला मजिस्ट्रेट
राजसमन्द